न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक RN/7-4/R/330/95 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–1–1995 पारित द्वारा अपर आयुक्त इन्दौर संभाग, इन्दौर, प्रकरण कमांक 33/93–94/अपील.

1– मोहनसिंग पिता सीताराम कोरकू
2– रामलाल पिता सीताराम कोरकू
3– रमोती पिता सीताराम कोरकू
4– जगतसिंह पिता सीताराम कोरकू
निवासीगण पीपलपानी
तहसील बुरहानपुर जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा .....आवेदकगण

विरूद्ध

सुमनबाई पति गजेन्द्रसिंह सोलंकी
निवासी ग्राम रनगांव
तहसील खण्डवा जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा .....अनावेदिका

श्री ए.के. अग्रवाल, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/5/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–1–95 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बुरहानपुर के समक्ष ऋण मुक्ति अधिनियम के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के पिता सीताराम के नाम ग्राम पीपलपानी स्थित भूमि सर्वे नम्बर 52 क्षेत्रफल 5 एकड़ थी, जिसका विकय पत्र अनावेदिका द्वारा धोखे से रूपये 15,000/– में अपने नाम निष्पादित करा लिया गया है, अतः भूमि उन्हें वापिस दिलायी

जाये । तत्पश्चात उक्त आवेदन पत्र को संहिता की धारा 170 (ख) के अंतर्गत परिवर्तित किया गया । उक्त आवेदन पत्र के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 27–6–88 को आदेश पारित कर आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर, बुरहानपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत किए जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 10–9–93 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 24–1–95 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के पिता से अनावेदिका द्वारा बलपूर्वक, छलकपट करके विक्रय पत्र निष्पादित करा लिया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 165 (6) के प्रावधानों के विपरीत आदिवासी की भूमि का अनावेदिका द्वारा हस्तांतरित करा लिया गया है, इसलिए उक्त भूमि उन्हें वापिस दिलाई जानी चाहिए थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 165 (6) के अंतर्गत आदिम जनजाति घोषित क्षेत्र में किसी भी आदिवासी की भूमि का गैर आदिवासी को हस्तांतरण किए जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, और ग्राम पीपलपानी आदिम जनजाति क्षेत्र घोषित है, इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये आदेश पारित किये गये हैं, इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

4/ अनावेदिका के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निर्विवादित है कि आवेदकगण आदिम जनजाति के सदस्य हैं, और उनके द्वारा यह आधार लिया जा रहा है कि ग्राम पीपलपानी आदिम जनजाति क्षेत्र घोषित है, और आदिम जनजाति घोषित क्षेत्र में आदिवासी की भूमि गैर आदिवासी को

हस्तांतरित नहीं की जा सकती है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, क्योंकि आदिम जनजाति सदस्य की भूमि होने से अनुविभागीय अधिकारी को चाहिए था कि वे पूर्व में प्रचलित प्रकरण को पुनः खोलकर उसकी अवैधानिकता एवं अनियमितता पर विचार करते । इस संबंध में 1995 आर.एन. 377 दीता विरूद्ध छोटिया तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

> "भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)–धारा 170–ख, धारा 170–क तथा 50–धारा 170–ख के अधीन पूर्वतर आदेश– आदिवासी के साथ छल कपट किया गया–उपखंड अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से या आवेदन पर मामला पुनः खोला जा सकता है–धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन की अनुज्ञा प्राप्त नहीं करना महत्वहीन है–पूर्व न्याय के सिद्धांत का वर्जन भी लागू नहीं होता ।"

अतः उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं, और चूंकि अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के विधि विपरीत आदेश की पुष्टि की गई है, इसलिए उनके आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे आवेदकगण की ओर से उठाये गये समस्त बिन्दुओं पर जॉच कर उभय पक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर देते हुए प्रकरण का विधि के प्रावधानों के अनुरूप निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–1–1995, अपर कलेक्टर, बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–9–93 एवं अनुविभागीय अधिकारी, बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–6–88 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर